

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (1)अलेसे-11/225

दिनांक :- 28-6-19

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25-ए के नीचे उद्धृत 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 6 में अंकित अवधि को नियमित करते हुए कॉलम संख्या 9 में अंकित विभाग/ कार्यालय से वेतन आहरण/ भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	लिक नं.	नाम कार्मिक पद (सर्वश्री)	निदेशालय में उपस्थिति देने की दिनांक	नवपदस्थापन कार्यालय का नाम	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	आचार संहिता की अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए)	प्रस्तावित कार्यालय जहां से भुगतान किया जाना है।
1.	2705	कैलाश चन्द शर्मा सलेअ-II	11.03.2019	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर	11.03.2019 से 30.05.2019 (09.03.2019 एवं 10.03.2019) राजपत्रित अवकाश	10.03.2019 से 26.05.2019 (78 दिवस)	27.05.2019 से 30.05.2019 (4 दिवस)	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर

यह स्वीकृति वित्त (नियम) के परिपत्र क्रमांक F.1(1)FD(Rules)/2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (1)अलेसे-11/225

दिनांक :- 28-6-19

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावें।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- श्री कैलाश चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
- उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड/ पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
- डीपीसी अनुभाग/ एसीआर अनुभाग।
- रक्षित पत्रावली/ निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)